संख्या-31/2020/1112/12-5-2020-सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेशशासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2- कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:दिनॉक: 17 सितम्बर, 2020**

विषय- प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के आवेदन के साथ प्राप्त अभिलेखों के डिजिटाइजेशन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6/2019/07-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनॉक 05 फरवरी, 2019, शासनादेश संख्या-8/2019/204/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनॉक 06 फरवरी, 2019, सपठित शुद्धि पत्र संख्या-9/2019/204(2)/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनॉक 07 फरवरी, 2019, शासनादेश संख्या-31-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनॉक 05 अप्रैल, 2019, शासनादेश संख्या-26/2019/36-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनॉक 08 अप्रैल, 2019 एवं शासनादेश संख्या-30/2019/609/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनॉक 09 मई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए पात्र लाभार्थियों का चयन करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेखों की हॉर्डकॉपी को तहसील के अभिलेखागार में राजस्व ग्रामवार संरक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही पात्र लाभार्थियों के द्वारा आवश्यक अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये गये विवरण/डाटा को डिजिटाइज्ड किये जाने तथा लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा-पत्र को डिजिटाइजेशन के पश्चात् डाटा बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप से सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

तहसील अभिलेखागार में पी0एम0-किसान योजना से सम्बंधित संरक्षित किये गये अभिलेखों को डिजिटाइज्ड किये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही आरम्भ कर समयबद्ध तरीके से अगले तीन माह में पूरा कराया जाए। इस कार्य हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाय -

1. जिलाधिकारी या उनके प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय जिसके संयोजक सदस्य उप कृषि निदेशक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होंगे, जो जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन करते हुए स्कैनिंग कर डिजीटाइजेशन कार्य को पूर्ण करायेंगे। समिति में एनआईसी के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

2. पी0एम0-किसान योजनान्तर्गत प्राप्त अभिलेख यथा-कृषक के आधार नम्बर, पासबुक, खतौनी, घोषणा-पत्र एवं यदि कोई संशोधित हुआ हो तो उससे संबंधित अभिलेख को भी सम्मिलित करते हुए स्कैन कर ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार/न्याय पंचायतवार/ब्लाकवार/तहसीलवार/जनपदवार डिजिटाइज्ड किया जायेगा। कार्य पूर्ण करने के पश्चात् उपरोक्त डेटा कृषि विभाग के पोर्टल-किसान पारदर्शी योजना से लिंक किया जायेगा।
3. इस कार्य हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर में संशोधन तथा सर्वर/क्लाउड स्पेस लेने का कार्य निदेशालय के आईटी सेल द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।
4. डिजिटाइजेशन के पश्चात् रिकार्ड पुनः राजस्व ग्रामवार तहसील के अभिलेखागार में पुन:सुरक्षित रखा जायेगा।
4. डिजिटाइजेशन के सम्बन्ध में व्यय का भुगतान पी0एम0-किसान योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में प्राप्त धनराशि से सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय
डा0देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-31/2020/1112(1)/12-5-2020-सा0-01/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0कृषि मंत्री, उ0प्र0शासन।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त उप कृषिनिदेशक,उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in